मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २८ सन् २०१९

# मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी ( द्वितीय संशोधन ) विधेयक, २०१९

**विषय-सूची.**

**खण्ड :**


१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

२. धारा २ का संशोधन.

३. धारा ३ क. संशोधन.

४. धारा ४ का स्थापन.

५. धारा ६ का संशोधन.

६. धारा ८ का संशोधन.

७. धारा १७ का संशोधन.

८. धारा २३ का संशोधन.

९. धारा २५ का संशोधन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २८ सन् २०१९

# मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी ( द्वितीय संशोधन ) विधेयक, २०१९

**मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, १९९९ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.**

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

**संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१९ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

**धारा २ का संशोधन.**

२. मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, १९९९ (क्रमांक २३ सन् १९९९) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा २ में, उपधारा (१) में,—

(एक) खण्ड (ग) में, शब्द ''उद्‌वहन सिंचाई द्वारा,'' के पश्चात्, शब्द ''या दबावयुक्त पाइप सिंचाई प्रणाली द्वारा'' अन्त:स्थापित किए जाएं;

(दो) खण्ड (ङ) में, उपखण्ड (तीन) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उपखण्ड जोड़ा जाए, अर्थात्:—

''(चार) दबावयुक्त पाइप सिंचाई प्रणाली वितरण केन्द्र से संबंधित समस्त संरचनाएं और उपसाधन;'';

(तीन) खण्ड (ण) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

''(ण क) ''दबावयुक्त पाइप सिंचाई प्रणाली'' से अभिप्रेत है, एक सिंचाई प्रणाली जिसमें पाइप प्रणाली के माध्यम से जल को दबावयुक्त तथा सुनिश्चित रूप से पौधों तक पहुंचाया जाता है;

(ण ख) ''दबावयुक्त पाइप सिंचाई प्रणाली वितरण केन्द्र'' से अभिप्रेत है, कोई सिविल या यांत्रिक संरचना जहां से किसी विनिर्दिष्ट जल उपभोक्ता क्षेत्र को सिंचाई के लिए जल का वितरण नियंत्रित किया जाता है;''.

**धारा ३ का संशोधन.**

३. मूल अधिनियम की धारा ३ में, उपधारा (१) में, शब्द ''जलीय आधार पर'' के पश्चात्, शब्द ''या दबावयुक्त पाइप सिंचाई प्रणाली की दशा में वितरण केन्द्र के आधार पर'' अन्त:स्थापित किए जाएं.

**धारा ४ का स्थापन.**

४. मूल अधिनियम की धारा ४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

**जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति.**

''४. (१) प्रत्येक जल उपभोक्ता संथा के लिए एक प्रबंध समिति होगी जो जल उपभोक्ता क्षेत्र के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से एक अध्यक्ष तथा एक सदस्य से मिलकर बनेगी.

(२) कलक्टर, जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति के अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा गुप्त मतदान पद्धति के माध्यम से, ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, व्यवस्था कराएगा.

(३) कलक्टर, प्रबंध समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिए भी गुप्त मतदान पद्धति के माध्यम से, ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, व्यवस्था करेगा.

(४) यदि उपधारा (२) तथा (३) के अधीन किसी निर्वाचन में जल उपभोक्ता संथा के अध्यक्ष या किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य निर्वाचित नहीं किए जा सके हों तो नया निर्वाचन, ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, कराया जाएगा.

(५) यदि जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति में कोई महिला सदस्य नहीं है तो प्रबंध समिति, सदस्य के रूप में एक महिला को सहयोजित कर सकेगी जो कि साधारणत: कृषक संगठन क्षेत्र की निवासी होगी.

(६) प्रबंध समिति के अध्यक्ष और सदस्य यदि पूर्व में उन्हें वापस नहीं बुलाया गया हो, धारा २१ की उपधारा (१) के अधीन सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति की तारीख से पांच वर्ष की कालवाधि के लिए पद पर रहेंगे:

परन्तु प्रबंध समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि का आवसान होने पर एक नई प्रबंध समिति गठित नहीं की जाती है, तो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, प्रबंध समिति के अध्यक्ष तथा सदस्य की पदावधि में वृद्धि, ऐसी वृद्धि का कारण अभिलिखित करते हुए, ऐसे अवसान की तारीख से छह मास की और कालावधि के लिए कर सकेगी.

(७) प्रबंध समिति, जल उपभोक्ता संथा की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगी.

(८) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उसके लिए कारणों को अभिलिखित करते हुए, पांच वर्ष की कालावधि के पूर्व, जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति को विघटित कर सकेगी और नया निर्वाचन ऐसी रीति में किया जाएगा जैसी कि विहित की जाए.''.

**धारा ६ का संशोधन.**

५. मूल अधिनियम की धारा ६ में, उपधारा (६) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात्:—

''(७) यदि जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति, धारा ४ की उपधारा (८) के अधीन पांच वर्ष की कालावधि के पूर्व विघटित की जाती है, तो उस दशा में, वितरक समिति की प्रबंध समिति स्वत: विघटित हुई समझी जाएगी.''.

**धारा ८ का संशोधन.**

६. मूल अधिनियम की धारा ८ में, उपधारा (५) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात्:—

''(६) यदि जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति, धारा ४ की उपधारा (८) के अधीन पांच वर्ष की कालावधि के पूर्व विघटित की जाती है, तो उस दशा में, परियोजना समिति की प्रबंध समिति स्वत: विघटित हुई समझी जाएगी.''.

**धारा १७ का संशोधन.**

७. मूल अधिनियम की धारा १७ में, खण्ड (ग) में, शब्द ''पाइप निकास'' के पश्चात्, शब्द ''या वितरण केन्द्र'' अन्त:स्थापित किए जाएं.

**धारा २३ का संशोधन.**

८. मूल अधिनियम की धारा २३ में,—

(एक) खण्ड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(ज क) किसी दबावयुक्त पाइप सिंचाई प्रणाली या उसके उपसाधनों को किसी भी प्रकार से नष्ट करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, चोरी करेगा या जल के प्रवाह में हस्तक्षेप करेगा;'';

(दो) शास्तियों से संबंधित अंतिम पैरा में,—

(क) खण्ड (एक) में, कोष्ठक तथा अक्षर ''(ज)'' के स्थान पर, कोष्ठक तथा अक्षर ''(ज क)'' स्थापित किए जाएं और शब्द ''पांच हजार रुपये'' के स्थान पर, शब्द ''दस हजार रुपये'' स्थापित किए जाएं;

(ख) खण्ड (दो) में, शब्द ''पांच सौ रुपये'' के स्थान पर, शब्द ''एक हजार रुपये'' स्थापित किए जाएं;.

९. मूल अधिनियम की धारा २५ में, कोष्ठक तथा अक्षर ''(ज)'' के स्थान पर, कोष्ठक तथा अक्षर ''(ज क)'' स्थापित किए जाएं. **धारा २५ का संशोधन.**

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमान में मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, १९९९ (क्रमांक २३ सन् १९९९) की धारा ४ की उपधारा (२), (३) और (५) में निम्नलिखित उपबंध हैं:—

(१) जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति एक निरन्तर निकाय होगी, जिसके एक तिहाई निर्वाचित सदस्य उपधारा (३) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार, प्रत्येक दो वर्ष में सेवानिवृत्त होंगे.

(२) प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्यों की पदावधि, यदि उन्हें अधिनियम के उपबंधों के अधीन वापस नहीं बुलाया गया हो या हटाया नहीं गया हो या निरर्हित नहीं किया गया हो, धारा २१ की उपधारा ( १) के अधीन सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति की तारीख से छह वर्ष होगी.

(३) कलक्टर, विहित रीति में, जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति के सदस्यों में से प्रबंध समिति के एक अध्यक्ष के निर्वाचन की भी व्यवस्था करेगा.

२. उपरोक्तानुसार वर्ष २०१५ से २०१७ तक की कालावधि में जल उपभोक्ता संथा के गठन के पश्चात्, जल उपभोक्ता संथा के अध्यक्ष और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्य कमाण्ड क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं स्थल निरीक्षण के दौरान उदासीन पाये गये और इस अधिनियम के वर्तमान उपबंध के प्रति असंतोष प्रकट किया. अत: जल उपभोक्ता संथा और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की प्रबंध समिति की अवधि पांच वर्ष और संथा का अध्यक्ष एवं सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुना जाना प्रस्तावित है.

३. जैसा कि ऊपर पैरा २ में अधिकथित है, प्रस्तावित संशोधन के कारण, जल उपभोक्ता संथा की विद्यमान प्रबंध समिति को विघटित किये जाने की आवश्यकता है. यदि धारा ४ की उपधारा (८) के अधीन जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति पांच वर्ष की कालावधि से पूर्व विघटित की जाती है, तो परिणामत: धारा ६ और ८ में भी संशोधन प्रस्तावित हैं, कि वितरक समिति की प्रबंध समिति तथा परियोजना समिति की प्रबंध समिति स्वत: विघटित हुई समझी जायेगी.

४. अतएव, लोक हित में और सिंचाई परियोजना में नहरों के उचित संचालन एवं रखरखाव के उद्देश्य से, अधिनियम में यथोचित संशोधन प्रस्तावित हैं. उपरोक्त के अतिरिक्त सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से, सिंचाई के लिए, राज्य में नई वृहद्, मध्यम एवं लघु परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है, अत: दबावयुक्त पाईप सिंचाई प्रणाली के लिए भी, अधिनियम में उपबंध किया जाना अपेक्षित है.

५. अधिनियम की धारा २३ में उन व्यक्तियों के लिए शास्तियों के उपबंध हैं, जो किसी नहर या सिंचाई प्रणाली को नुकसान पहुंचाते हैं, बाधा डालते हैं. इस धारा में शास्ति बढ़ाई गई है जिससे कि इस धारा में उल्लेखित अपराधों को नियंत्रित किया जा सके.

६. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख ७ दिसम्बर, २०१९.

**हुकुम सिंह कराड़ा**
भारसाधक सदस्य.

# प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, २०१९ के खण्ड-४ द्वारा विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन निम्नानुसार किया जा रहा है :—

खण्ड ४ द्वारा जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों के प्रत्यक्ष निर्वाचन गुप्त मतदान पद्धति से कराये जाने तथा किसी निर्वाचन में जल उपभोक्ता संथा के अध्यक्ष या किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य निर्वाचित नहीं किए जाने की स्थिति में निर्वाचन संबंधी रीति विहित किये जाने, प्रबंध समिति के अध्यक्ष तथा सदस्य की पदावधि में छह मास की और वृद्धि किये जाने एवं पांच वर्ष की कालावधि के पूर्व जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति को विघटित कर नये निर्वाचन कराये जाने के संबंध में राज्य सरकार नियम बना सकेगी, जो सामान्य स्वरूप के होंगे.

**ए. पी. सिंह**
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

# उपाबंध

## मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, १९९९ (क्रमांक २३ सन् १९९९) से उद्धरण.

२ (१) (क) (ख) * * *

(ग) ''कमाण्ड क्षेत्र'' से अभिप्रेत है ऐसा क्षेत्र जो या तो गुरूत्वाकर्षण संबंधी बहाव द्वारा या उद्‌वहन सिंचाई द्वारा या किसी सरकारी या सरकार से सहायता प्राप्त स्रोत के किसी अन्य तरीके से सिंचित हो या सिंचित किए जाने योग्य हो और उसमें ऐसा प्रत्येक क्षेत्र सम्मिलित है जो या तो ''आयाकट'' कहलाता हो या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अन्य नाम से जाना जाता हो.

(घ) * * * *

(ङ) ''वितरक प्रणाली'' में सम्मिलित है:—

(एक) समस्त मुख्य नहरें शाखा नहरें वितिरिकाएं और सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति और वितरण के लिए सन्निर्मित लघु नहरें.

(दो) सिंचाई के लिए जल के वितरण से संबंधित समस्त संकर्म, जल सरणियां और अन्य संबंधित जलसरणियां तथा किसी पाईप निकास के अन्तर्गत की संरचनाएं.

(तीन) ''समस्त खेत, जलसरणियां और अन्य संबंधित जलसरणियां तथा किसी पाइप निकाय के अन्तर्गत की संरचनाऐं.

(च) से (ढ) * * * * *

(ण) ''कार्य योजना'' से अभिप्रेत है किसी सिंचाई प्रणाली के कमांड क्षेत्र में सिंचाई के विनियमन के लिए तैयार किये गये प्रदाय के तरीकों और प्रदाय की अवधि के ब्यौरें सहित सिंचाई के लिए वितरणों की अनुसूची.

* * * *

**धारा ३** (१) ''राज्य सरकार'' अधिसूचना द्वारा और इस निमित्त इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार जलीय आधार पर प्रत्येक सिंचाई प्रणाली के अधीन प्रत्येक कमाण्ड क्षेत्र को अंकित कर सकेगा जो प्रशासनिक रूप से जीवनक्षम हो, और अधिनियम के प्रयोजन के लिए जल उपभोक्ता क्षेत्र घोषित कर सकेगा:

परन्तु लघु और उद्‌वहन सिंचाई प्रणाली के अधीन कमाण्ड क्षेत्र के संबंध में जहां तक संभव हो, सम्पूर्ण कमाण्ड क्षेत्र, एकल जल उपभोक्ता क्षेत्र हो सकेगा.

* * * *

**धारा ४** (१) प्रत्येक जल उपभोक्ता संथा के लिए एक प्रबंध समिति होगी जो उनके अपने-अपने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से, धारा ३ की उपधारा (४) के खण्ड (क) के उपखण्ड (एक) में यथाविनिर्दिष्ट जल उपभोक्ताओं द्वारा प्रत्यक्षत: निर्वाचित धारा ३ की उपधारा (२) में यथाविनिर्दिष्ट प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्यों से मिलकर बनेगी.

(२) जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति एक अभंग निकाय होगी, जिसके एक तिहाई निर्वाचित सदस्य उपधारा (३) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार, प्रत्येक दो वर्ष में सेवानिवृत्त होंगे.

(३) प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्यों की पदावधि, यदि उन्हें अधिनियम के उपबंधों के अधीन वापस नहीं बुलाया गया हो या हटाया नहीं गया हो या निरर्हित नहीं किया गया हो, धारा २१ की उपधारा (१) के अधीन सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति की तारीख से छह वर्ष होगी:

परन्तु प्रथम निर्वाचन में, समस्त प्रादेशिक क्षेत्रों के सदस्य एक बार में निर्वाचित किए जाएंगे, जिनमें से एक तिहाई सदस्य दो वर्ष पूर्ण हो जाने पर, दूसरे एक तिहाई सदस्य चार वर्ष पूर्ण होने के पश्चात्, तथा शेष एक तिहाई सदस्य पद के छह वर्ष पूर्ण हो जाने के पश्चात्, सेवानिवृत्त होंगे और उनकी सेवानिवृत्ति की अवधि को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्यों का प्रथम निर्वाचन प्रारंभ होने के पूर्व लॉट डालकर विनिश्चित किया जाएगा.

(४) जिला कलक्टर, किसी जल उपभोक्ता क्षेत्र के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य से मिलकर बनने वाली प्रबंध समिति के निर्वाचन के लिए गुप्त मतदान द्वारा विहित रीति में व्यवस्था कराएगा.

(५) जिला कलक्टर, विहित रीति में, जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति के सदस्यों में से प्रबंध समिति के एक अध्यक्ष के निर्वाचन की भी व्यवस्था करेगा.

(६) यदि उपधारा (४) और (५) के अधीन किसी निर्वाचन में जल उपभोक्ता संथा के अध्यक्ष या प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्य निर्वाचित नहीं किए जा सकें हों तो विहित रीति में नया निर्वाचन कराया जाएगा.

(७) जल उपभोक्ता संथा की प्रबंध समिति का अध्यक्ष, यदि उसे अधिनियम के उपबंधों के अधीन वापस नहीं बुलाया गया हो या हटाया नहीं गया हो या निरर्हित नहीं किया गया हो, निर्वाचन की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के लिए या प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य के रूप में उसका कार्यकाल पूरा होने तक जो भी पूर्वतर हो, पद पर रहेगा.

(८) साधारण निर्वाचन के पश्चात् बनाई गई समस्त जल उपभोक्ता संथाओं की प्रबंध समिति के सदस्यों तथा अध्यक्ष की पदावधि भी उसी समय समाप्त हो जाएगी जबकि वह उस समय समाप्त होती यदि वह सामान्य निर्वाचन में निर्वाचित हुआ होता.

(९) प्रबंध समिति, जल उपभोक्ता संथा की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगी.''.

* * * *

**धारा ६** (१) प्रत्येक वितरिका समिति के लिए, वितरिका समिति के साधारण निकाय के समस्त सदस्यों से मिलकर बनने वाली एक प्रबंध समिति होगी.

(२) जिला कलक्टर, वितरिका समिति की प्रबंध समिति के सदस्यों में से अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए गुप्त मतदान द्वारा ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, इंतजाम करेगा.

(३) यदि उपधारा (२) के अधीन कराए गए निर्वाचन में अध्यक्ष निर्वाचित नहीं किया जाता है तो यथाविहित रीति में नए निर्वाचन कराए जाएंगे.

(४) यदि वितरिका समिति की प्रबन्ध समिति में कोई महिला सदस्य नहीं है तो प्रबंध समिति, सदस्य के रूप में एक महिला को सहयोजित कर सकेगी जो कि साधारणत: कृषक संगठन क्षेत्र की निवासी होगी.

(५) वितरिका समिति की प्रबंध समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि, यदि अधिनियम के उपबंधों के अधीन पूर्व में ही उन्हें वापस नहीं बुलाया गया हो या जब तक उन्हें हटाया न गया हो या निरर्हित न किया गया हो, धारा ५ की उपधारा (३) में विनिर्दिष्ट साधारण निकाय की अवधि की सहविस्तारी होगी.

(६) प्रबन्ध समिति, वितरिका समिति की शक्ति का प्रयोग तथा कृत्यों का पालन करेगी.

* * * *

**धारा ८** (१) प्रत्येक परियोजना समिति के लिए एक प्रबंध समिति होगी, जो परियोजना समिति के लिए साधारण निकाय के समस्त सदस्यों से मिलकर बनेगी.

(२) (क) परियोजना समिति की प्रबंध समिति के सदस्यों से सभापति (चेयरपर्सन) के गुप्त मतदान पद्धति द्वारा निर्वाचन के लिए जिला कलक्टर ऐसी रीति में व्यवस्था करवाएगा जैसी कि विहित की जाए.

(ख) वृहद् परियोजनाओं की परियोजना समिति के सभापति (चेयरपर्सन) परियोजना क्षेत्र की वितरिका समिति के अध्यक्षों में से

निर्वाचित किए जाएंगे जबकि मध्यम परियोजनाओं के सभापति (चेयरपर्सन) परियोजना क्षेत्र की जल उपभोक्ता संथा के अध्यक्षों में से निर्वाचित किए जाएंगे.

(ग) यदि खण्ड (क) तथा (ख) के अधीन कराए गए निर्वाचन में सभापति (चेयरपर्सन) निर्वाचित नहीं होता है तो यथाविहित रीति में नये निर्वाचन कराए जाएंगे.

(३) परियोजना समिति की प्रबंध समिति में यदि कोई महिला सदस्य न हो तो प्रबंध समिति किसी महिला को एक सदस्य के रूप में सहयोजित करेगी जो सामान्यतया कृषकों के संगठन के क्षेत्र में निवासी होगी.

(४) परियोजना समिति की प्रबंध समिति के सभापति (चेयरपर्सन) और सदस्यों की पदावधि के पूर्व अधिनियम के उपबंधों के अधीन यदि उसे वापस नहीं बुलाया जाता या हटाया नहीं जाता या निरर्हित नहीं कर दिया जाता है तो धारा ७ की उपधारा (३) में विनिर्दिष्ट साधारण निकाय की अवधि सहविस्तारी होगी.''.

(५) प्रबंध समिति, परियोजना समिति की शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का निर्वहन करेगी.

**धारा ९ से १६** * * * *

**धारा १७** (ग) वाराबंदी अनुसूची की प्रणाली के अनुसार उसके कार्यक्षेत्र के अधीन विभिन्न पाइप निकास से जल के उपयोग को विनियमित करना.

**धारा १८ से २२** * * * *

**धारा २३** (ज) किसी नहर अधिकारी के प्राधिकार से लगाए गए किसी भूमि चिन्ह, तल-चिन्ह जलमापी या अन्य साचित्र को नष्ट करेगा, क्षति पहुंचाएगा, विरूपित करेगा या हटाएगा,

(ठ) किसी नहर के तटों पर या उसकी जलसरणी में मल-मूत्र करेगा, वह कृषक संगठन द्वारा शिकायत की जाने पर—

(एक) खण्ड (क) से (ज) तक में वर्णित अपराधों के संबंध में कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो एक हजार रुपये से कम या नहीं होगा किन्तु जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से और जहां अपराध चालू रहने वाला अपराध हो वहां ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम अपराध के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके कि दौरान अपराध जारी रहा हो, बीस रुपये से अधिक न हो, दण्डनीय होगा, और

(दो) खण्ड (झ) से (ठ) तक में वर्णित अपराधों के संबंध में जुर्माने से जो पांच सौ रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक को हो सकेगा, दण्डनीय होगा और यदि वही व्यक्ति वैसे ही अपराध के लिए वाद में पश्चात्वर्ती सिद्ध दोष ठहराया जाए तो वह प्रत्येक ऐसी पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि के लिए कारावास से, जो छह माह तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा.

**धारा २४** * * * *

**धारा २५** (१) कृषक संगठन किसी व्यक्ति से या जिसके संबंध में एक युक्तियुक्त विश्वास अनुमित किया जा सकता है कि उसने इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया है, या ऐसे अपराध के लिए प्रशमन स्वरूप धारा २३ के खण्ड (क) से (ज) तक में वर्णित अपराधों की दशा में कम से कम एक हजार रुपये तथा धारा २३ के खण्ड (झ) से (ठ) में वर्णित अपराधों के लिए पांच सौ रुपये की धनराशि को स्वीकार कर सकेगा.

* * * *

**ए. पी. सिंह**
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.